



डा० ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,  
सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ

पत्रांक : ए०के०टी०य० / एसईई-२०१९ / ७३०(१)

दिनांक ०१ अप्रैल, २०१९

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य  
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय /  
निजी क्षेत्र में स्थापित अभियंत्रण एवं व्यवसायिक संस्थान।

विषय: राज्य प्रवेश परीक्षा-२०१९ के द्वारा प्रवेश लेने वाले एस०सी० / एस०टी० के छात्रों से पूरी टयूशन फीस लेने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जारी परिपत्र संख्या ए०के०टी०य० / एस०ई० ई०-२०१९ / ७३० दिनांक ०१ अप्रैल, २०१९ को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित पत्र संख्या : C-3602 स०का० शिक्षा-अ / ३ / ४३ / लखनऊ २०१७-१८ दिनांक ०५ अक्टूबर, २०१७ (संलग्न) मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

संलग्नक— यथोक्त।

( प्रो० विनीत कसल )  
समन्वयक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- कुलसचिव, ए०के०टी०य०, लखनऊ।
- वित्त अधिकारी, ए०के०टी०य०, लखनऊ।
- स्टाफ आफिसर कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

( प्रो० विनीत कसल )  
समन्वयक

11

संख्या २०१८-०५-११.

इ०मेल० / स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

निदशक,  
समाज कल्याण,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति,  
डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम,  
प्राविधिक विश्वविद्यालय,  
लखनऊ।

संख्या-३६०५०५००५० / शिक्षा-अ/३/४३ / लखनऊ २०१७-१८ दिनांक ०५ अक्टूबर २०१७  
विषय-दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक ०५-१०-२०१७ को प्रकाशित "एक लाख से ज्यादा छात्रों की परीक्षा फंसी" के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक ०५-१०-२०१७ को प्रकाशित "एक लाख से ज्यादा छात्रों की परीक्षा फंसी" का संतर्भ लेने का कष्ट करें। समाचार पत्र में अध्यक्ष एवं महासचिव यू०पी० प्राईवेट कालेज एसोसिएशन के स्टेटमेंट के साथ-साथ आपका स्टेटमेंट भी प्रकाशित किया गया है।

समाचार पत्र में प्रकाशित है कि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कालेजों के एक लाख से ज्यादा छात्रों के आगामी सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने पर संकट खड़ा हो गया है। यह सभी छात्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। इनके दाखिले जीरो फीस पर हुये हैं। जिसकी प्रतिपूर्ति शासन को करनी है। समाचार पत्र में यह भी प्रकाशित है कि शासन के निर्देशों पर इन छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया गया है। ऐसे में शुल्क न होने की स्थिति में विश्वविद्यालय को भुगतान करने में असमर्थ हैं।

वर्ष २०१४-१५ में राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरांत प्रमुख सचिव, समाज कल्याण उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या १६५५/ २६-३-२०१४-४(३५८) / ०७-टीसी-२ दिनांक २०-०९-२०१४ द्वारा उ०प्र० अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली प्रख्यापित की गयी है। नियमावली के नियम-१२ उपनियम (१) में व्यवस्था है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अनुमोदित पाठ्यक्रम में अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष ४० प्रतिशत

Sh. sunil  
P.S. put up  
11/8/2017

सीमा तक ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की अनुमत्यता की गयी है। यह बाध्यकारी व्यवस्था नहीं है। शिक्षण संस्थाएं किसी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क प्रवेश देने के लिये बाध्य नहीं है। शिक्षण संस्थाएं अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर निःशुल्क प्रवेश दे सकती हैं।

आप अवगत हैं कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की सम्पूर्ण व्यवस्था शतप्रतिशत आनलाइन है। प्रत्येक वर्ष दिनांक 01 जून से शिक्षण संस्थाओं का नाम/पाठ्यक्रम का नाम/शुल्क/स्वीकृत सीट आदि को डिजिटल सिग्नेचर से लाक करने की व्यवस्था प्रारम्भ होती है। दिनांक 01 जुलाई से छात्रों के स्तर से आनलाइन आवेदन पत्र भरा जाता है। सम्पूर्ण प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित समयसारिणी/नियमावली के अन्तर्गत एन0आई0सी0 व पी0एफ0एम0एस0 के सहयोग से की जाती है, जिसमें विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलिएटिंग बाड़ी का अहम दायित्व होता है। सम्पूर्ण प्रक्रिया के उपरांत छात्रों के आवेदन को स्कूटनी के प्रतिवर्ष माह फरवरी/मार्च में छात्रों के बैंक है, जिसमें परीक्षा शुल्क की धनराशि भी सम्मिलित होती है।

समाचार पत्र में शिक्षण संस्थाओं के एसोसिएशन के पदाधिकारियों का यह कथन कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को निःशुल्क/जीरो फीस पर प्रवेश किया गया है, यह उक्त नियमावली की व्यवस्थानुसार विपरीत है। शिक्षण संस्थाएं सम्बन्धित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों से पाठ्यक्रम में निर्धारित शिक्षण/परीक्षा शुल्क वसूल कर लेनी चाहिए। शतप्रशित निःशुल्क प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार की कोई भी व्यवस्था/नियम नहीं है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को जीरो फीस पर प्रवेश दिया जाना शिक्षण संस्थाओं द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से स्तर से कोई बाध्यकारी निर्देश नहीं है।

समाचार पत्र के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से दिसम्बर माह में सेमेस्टर परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। संस्थाओं के अनुसार पिछले सत्र में दाखिला लेने वाले छात्रों के शुल्क की प्रतिपूर्ति शासन से अभी तक प्राप्त न हो पाने के कारण वर्तमान सत्र में छात्रों के परीक्षा शुल्क जमा करने में कठिनाई आ रही है। इस सम्बन्ध में उक्त नियमावली के नियम 12 में स्पष्ट है कि “जिन संस्थानों में अध्ययरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की विगत वर्षों की दशमोत्तर अनुरक्षण भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं हुआ है

‘स्पीड प्रॉल’ उन संस्थानों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को निःशुल्क प्रवेश देने के लिये बाध्य नहीं होंगे। ” उक्त नियम से यह स्पष्ट है कि गत शैक्षिक सत्र 2016-17 अथवा पूर्व के शैक्षिक सत्रों में जिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को किसी भी कारण से शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान नहीं हुआ है, उन छात्रों को जीरो फीस पर प्रवेश देने के लिये शिक्षण संस्थाएं बाध्य नहीं हैं। शिक्षण संस्थाएं उन सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों से शुल्क की सम्पूर्ण देय धनराशि प्राप्त कर लेनी चाहिए।

अतः आपसे अनुरोध है कि राज्य सरकार की उपरोक्त व्यवस्था से अपने विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शिक्षण संस्थाओं को अवगत कराते हुये अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

  
(मनोज सिंह)  
निदेशक

### पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— प्रमुख सचिव, उप्रोक्त शासन, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, आयुष विभाग।
- 2— सम्बन्धित एफिलिएटिंग संस्थाएं उत्तर प्रदेश।
- 3— समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
- 4— निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, इंदिराभवन, उत्तर प्रदेश।
- 5— समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश
- 6— समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण उप्रोक्त।
- 7— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमावली की उक्त व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

  
(मनोज सिंह)  
निदेशक